संख्या- 242/2024/1000/35-4-2024/35-4099/7/2023

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मऊ ।

नियोजन अनुभाग- 4 लखनऊ: दिनांक, 14 अगस्त, 2024

विषय: जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र-घोसी में वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय पॉलीटेक्निक, पिसवाताल के भवन निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० मुख्य मंत्री जी की घोषणा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2019-20 में जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र-घोसी में राजकीय पॉलीटेक्निक, पिसवाताल के भवन निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या- 22/2020/261/35-4-2020, दिनांक 17 फरवरी, 2020 द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये भवन निर्माण कार्य की अनुमोदित लागत रू० 1755.85 लाख (+जी०एस०टी० नियमानुसार देय) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या- 32/2021/588/35-4-2021, दिनांक 04 मार्च, 2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 263.37 लाख, शासनादेश संख्या- 202/2021/1786/35-4-2021, दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 853.52 लाख एवं शासनादेश संख्या- 87/2023/200/35-4-2023/001-35-4099/7/2023, दिनांक 13.02.2023 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 351.17 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। उक्त परियोजना हेतु अब तक कुल रू0 1668.06 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। परियोजना को शासनादेश संख्या- 241/2024/999/35-4-2024/35-4099/7/2023, 13 अगस्त, 2024 द्वारा रू0 2450.29 लाख (GST सहित, देयता वास्तविकता के आधार पर) पर पुनरीक्षित किया गया है।

2- जिलाधिकारी, मऊ के पत्रांक- 936/त्व0आ0वि0यो0/2023-24 दिनांक 28.12.2023, निदेशक, प्राविधिक शिक्षा के पत्र दिनांक 05.12.2023; प्रबन्ध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक- 954/प्रब० (स0) रा०पाली० घोसी/रानिनि/2024, दिनांक 06.06.2024 एवं लोक निर्माण विभाग के पत्रांक- 1/668529/2024-23-8010(099)/1/2024, दिनांक 14.06.2024 द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त करने संबंधी किए गये अनुरोध के क्रम में एतद्द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य की पुनरीक्षित लागत रु0 2450.29 लाख के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू0 1668.06 लाख को समायोजित करते हुए देय अवशेष धनराशि रू0 782.23 लाख (रूपये सात करोड़

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

बयासी लाख तेईस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू0 लाख रूपए में)

कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	पुनरीक्षित लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
राजकीय पालीटेक्निक, पिसवाताल घोसी, मऊ का भवन निर्माण कार्य।	1755.85 (+GST नियमानुसार देय)	2450.29 (GST सहित)	1668.06	782.23

1. सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 17 फरवरी, 2020, दिनांक 04 मार्च, 2021, दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 एवं दिनांक 13.02.2023 तथा शासनादेश दिनांक 13 अगस्त, 2024 की शर्ते यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबन्धित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि व्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. कार्य को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/ अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2025 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2025 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ०प्र० में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2025 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
7. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/2024/बी-1-294/दस- 2024-231/2024 दिनांक-04 मार्च, 2024 में उल्लिखित शर्तों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. इस संबंध में होना वाला व्यय धनराशि रू0 7,82,23,000/- (रूपये सात करोड़ बयासी लाख तेईस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या – 40 के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

लेखाशीर्ष – 420202104030302 राजकीय पालीटेक्निक भवन निर्माण के चालू कार्यों के 24- वृहत निर्माण कार्य के निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक-04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या- 242/2024/1000(1)/35-4-2024/35-4099/7/2023, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार,लेखा एवं हकदारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग ।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त ।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव /विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
7. मंडलायुक्त आजमगढ मण्डल ।
8. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर उ०प्र० ।
9. प्रबन्ध निदेशक उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि0, विभूतिखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ।
10. मुख्य विकास अधिकारी, मऊ ।
11. मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, मऊ ।
12. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी मऊ ।
14. परियोजना प्रबंधक, आजमगढ़ इकाई, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि0, आजमगढ़।
15. संयुक्त निदेशक स्टेट ट्रांसफारमेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
16. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, नियोजन विभाग।
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।